कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा

पत्रांक : 1545/पन्द्रह-बी/जे.ए./2016 दिनांक: 22 जून 2016

कार्यालय एकल सदस्यीय जांच आयोग, मथुरा (जॉच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 60 सन् 1952) के अन्तर्गत गठित) 176/152/प्रथम तल बद्रीनाथ रोड, गोला गंज, लखनऊ (काल चलाऊ व्यवस्था के अधीन अस्थाई मुख्यालय पी.डब्लू.डी. निरीक्षण गृह, सिविल लाईन्स, मथुरा (शिविर कार्यालय)

सार्वजनिक सूचना

जनपद मथुरा (उत्तर प्रदेश) में उद्यान विभाग के स्वामित्व वाली जवाहर बाग की भूमि पर स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह/स्वाधीन भारत सुभाष सेना के बैनर तले अवैध अधिक्रमण, जवाहर बाग परिसर को धरना देने वालों और अधिक्रमणधारियों से खाली कराये जाने के लिए दिनांक 02 जून 2016 को पुलिस बल/प्रशासनिक अधिकारियों के आगमन पर धरना देने वालों/ अधिक्रमणकारियों द्वारा किये गये/की गई पथराव एवं अंधाधुंध फायरिंग जिसमें श्री मुकुल द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक (नगर) मथुरा, श्री सन्तोश यादव, थानाध्यक्ष थाना फरह मथुरा तथा कतिपय धरना देने वालों/अधिक्रमणधारियों की मृत्यु हो गयी थी एवम् कतिपय अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक कर्मी व धरना देने वाले/अधिक्रमणधारियों घायल हुए हैं, के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 02 जून 2016 को घटित उक्त घटना की जांच कर निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए रिपोर्ट देने के लिये माननीय न्यायमूर्ति श्री मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा, पूर्व न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है:-

(क) उन कारणों एवं परिस्थितियों को अभिनिश्चत करना जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई।

(ख) पुलिस एवं प्रशासन, मथुरा द्वारा कार्ययोजना/रणनीति की रूप रेखा में जवाहर बाग, मथुरा को अधिक्रमणधारियों से रिक्त कराये जाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना को रोकने से सम्बन्धित सभी पहलुओं के समावेश को अभिनिश्चित करना।

(ग) प्रकरण के सम्बन्ध में अभिसूचना तंत्र द्वारा दी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में जॉच करना।

(घ) जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जॉच करना।

(ड) पर्यवेक्षणीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जॉच करना।

(च) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देना।

अतएव अनुरोध है कि यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा संस्था जो उक्त विषयों पर वैयक्तिक अथवा निर्दिष्ट जानकारी रखता/रखते/रखती है तथा उक्त तथ्यों से न्यायिक जॉच आयोग को अवगत कराना चाहता है/चाहते है/चाहती है, तो वह विधिवत् निष्पादित शपथपत्र लिखित वक्तव्य इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करा सकता है/सकते है/सकती है। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था उक्त घटना से सम्बन्धित कोई लिखित सामग्री, वास्तविक फोटोग्राफ, दृष्टिचित्र, वास्तविक विडियो क्लिपिंग आदि उपलब्ध कराना चाहता है तो वह/वे उक्त लिखित सामग्री, छेड़छाड़ रहित फोटोग्राफ, दृष्टिचित्र विडियों क्लिपिंग आदि को भी यथा विधि निष्पादित शपथ पत्र के साथ विधिवत निष्पादित शपथ पत्र के साथ इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करा सकता है/सकते है/सकती है।

यदि किसी/किन्हीं व्यक्ति/व्यक्तियों का शपथ पूर्वक पृच्छा कथन लिपिवद्ध किया जाना आवश्यक होगा तो उसे/उन्हें अपरिहार्य किन्तु सामान यात्रा व्यय भी अनुमन्य होगा।

सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था उक्त न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय में वैयक्तिक रूप से सम्पर्क कर सकते है अथवा उक्त न्यायिक जांच आयोग की सचिव श्री प्रमोद कुमार गोयल, सेवा निवृत्त, जिला एवम् सत्र न्यायाधीश से उनके मोबाइल फोन संख्या 7599121212 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई अभिसाक्षी, व्यक्ति अथवा अधिकारी, ऐसा चाहता है तो उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जायेगी।

माननीय आयोग के आदेश से

-प्रमोद कुमार गोयल
सचिव, एकल सदस्यीय जॉच आयोग, मथुरा/
सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुख्यालय: 178/152, प्रथम तल, बद्रीनाथ रोड,
गोला गंज, लखनऊ
शिविर कार्यालय: पी.डब्ल्यू.डी. निरीक्षण गृह,
सिविल लाइन्स, मथुरा।